Title: Need to set up a Peasants' Welfare Fund to render assistance to farmers affected by nature calamities.

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष जी, किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कृषि कार्य अधिकांश जनसंख्या का केवल व्यवसाय ही नहीं यहां की जीवनशैली है। राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले दिनों देश के विभिन्न भागों में अति वृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसानों को अपार क्षति हुई है। अकेले बिहार में ही सैंकड़ों करोड़ रुपये की हानि हुई है। सारे देश की हानि का योग तो सैंकड़ों अरब में ही आंका जा सकेगा। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा राहत इक अनुपात में अपर्याप्त नहीं, नगण्य ही कहा जायेगा। किसानों के राहत के लिए सम्प्रति निम्नलिखित योजनाएं हैं:-

१. अल्पकालिक ऋण को मध्यकालिक ऋण में परिवर्तित करना।

२. फसल बीमा।

३. एग्रिकल्चर क्रेडिट गारंटी के तहत राहत एवं

४. राहत कोष।

अल्पकालिक ऋण का मध्यकालिक ऋण में परिवर्तन किसानों को स्थायी राहत प्रदान नहीं करता है। फसल बीमा का लाभ सिर्फ एक फसल तक ही सीमित रहता है तथा एग्रिकल्चर क्रेडिट योजना से फसल की बर्बादी से प्रभावित समग्र कृषक समुदाय लाभान्वित नहीं होता है।

उपरोक्त परिस्थिति में मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार प्रारम्भ से १०,००० करोड़ लगाकर कृषक कल्याण कोष की स्थापना करे जिससे प्राकृतिक आपदा ग्रस्त राज्यों के किसानों के हित में समुचित राहत कार्य किया जा सके।